

[Mr. Deputy Chairman]

As regards the various suggestions and opinions that have been expressed in the House by various Members, lady Members and others, well, I can only say that I will leave it to the Leader of the House to see as to how he wants to handle it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I want to say one thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us close the discussion at this stage.

SHRI BHUPESH GUPTA: Just one thing. The intention of my motion is not to press it if the Prime Minister comes and explains.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point amply.

SHRI BHUPESH GUPTA: I would therefore appeal to the Government to talk to the Prime Minister, let him come here and explain and the matter would be dropped.

## THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974

(Substitution of new article for article 163).

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-  
DHURY (Assam): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Sir, the Bill seeks to amend article 163 of the Constitution by substituting the present article with a new one. Article 163 of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advice the Governor in the exercise of functions except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

Sir, this discretionary power of the Governor has recently created a

doubt in the minds of the people to the effect that some times a Governor in his discretion may act in a manner which is not very congenial to the democratic functioning of the State Governments.

You might recall, Sir, that some years back Mr. Dharam Vira, the then Governor of West Bengal, dismissed the United Front Government there and installed another Government without the consent of the Assembly and later created a constitutional crisis which had to be met by dissolving the Assembly. At that time, Sir, a debate arose a national debate, throughout the country in order to find out whether that action of the Governor of West Bengal was justified as per the provisions of the Constitution. Now, those who stood by him were defended by the action of the Governor of West Bengal. Their argument was that the Governor of West Bengal was justified because the Council of Ministers is appointed by the Governor and it holds office during his pleasure. Now the term 'during his pleasure' was interpreted in such a manner that the Governor could dismiss a lawfully elected government and also appoint new Government there.

Sir, the other day we had a debate on Kashmir on a Calling Attention Notice. Now, the Governor has dissolved the Assembly and Governor's rule has been imposed there. Though it is there in the Constitution of Kashmir that the Governor is bound by the advice given by the Council of Ministers only the Chief Minister advised him there who lost his majority in the House and also who could not carry the Cabinet with him at that time. On the advice of the Chief Minister, the Governor was pleased to not only dismiss the government but dissolve the Assembly also.

Now, take the case of Tripura. Till very recently all these symptoms were not there when I had moved this Bill. In Kashmir also, this situation was not there . . .

AN HONOURABLE MEMBER:  
Symptoms were there but these incidents were not there.

SHRI NRIPATI RANJAN CHAUDHURY: Yes, the incidents were not there. And this Tripura Government also was not in these state of affairs because I introduced this Bill in 1974 but now I find I was justified in introducing this Bill because these things are happening now! Now what happened, Sir in Tripura? The Chief Minister has tendered his resignation and advised the Governor to dissolve the Assembly. What is the Governor doing now? He is just politicking. It is no business of a Governor to enter into the State politics. But he is allowing C.F.D. party to bungle and cause defection in Congress and form a Government. Even in today's papers the statement of the leader of the C.F.D. has appeared where he has said that he is not in a position to form Government in coalition with CPM but he is hopeful that he may be able to do so after sometime and the Governor is allowing him time to cause defection in Congress and form the Government. Sir, this type of using the office of the Governor by the persons who are just holding that office, was not visualised by the founding fathers of the Constitution when they kept all these provisions in the Constitution. While drafting the Constitution, our founding fathers of the Constitution had in mind the convention of the United Kingdom. They visualised the position of the President and Governor like that of the King of the United Kingdom. Though there is no written Constitution in the U.K., the convention is that in such cases if the Council of Ministers advises the King to dissolve the Parliament, he dissolves it. But, here, take the case of Tripura. It is a glaring example. It has appeared

in today's papers that though the Chief Minister advised the Governor to dissolve the Assembly, instead of doing so, he is keeping it in abeyance so that the C.F.D. and CPM can form the Government in coalition.. They have not been able to form a Government; they do not carry a majority. Even then, the Governor is allowing them time so that they can cause defection in Congress. You will be astonished to know that six M.L.As there are not to be traced. No one knows where they have been carried away. If in State legislatures we allow things to go on this way, then how can we expect any sort of democracy functioning in that State. Some such checks should be there in regard to the powers of the Governor. I have given you examples of how Governments were dismissed by the Governors. What were the arguments? There were no arguments. It has been said that the Council of Ministers hold office during the pleasure of the Governor and, therefore, he was pleased to dismiss one Government and instal another without verifying who commands the confidence of the House. This could happen because of the existence of such a provision in the Constitution in regard to the powers of the Governor. We have a written Constitution. But we have not provided for these things in the Constitution in unequivocal terms. These things were visualised by those who drafted the Forty-Second Amendment. Now, article 74 has been amended. This article relates to the appointment of the Council of Ministers by the President. They have changed the provision. The amended article reads thus:

"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice."

Under the amended article, the President is bound by the advice of the Council of Ministers. By the

[Shri Nripati Ranjan Chaudhury]  
Forty-Second Amendment, the President is bound by the advice of the Council of Ministers. It is now obligatory on the part of the President to abide by the advice given by the Council of Ministers. I think there is no harm if we curtail the discretionary powers of the Governor by putting some restrictions in the exercise of these discretionary powers. My proposed amendment is that article 163 of the Constitution should be substituted by a new article which will read thus:

"163. (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions and the Governor shall act in accordance with the advice of the Council of Ministers on all matters except in case of sending a report to the President under article 356 and in case of assent to Bills passed by the Legislature of the State under article 200.

(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court."

The later part is there in the original provision.

Now, I think I have been able to bring home the point why we want to put a check on the discretionary powers of the Governor. Tripura is a glaring example. This underlines the importance that there should be some check on the discretionary powers of the Governor. Otherwise there would be complete negation of democracy in the States as is happening presently in the case of Tripura. Tomorrow, it may happen in the case of U.P. It may happen in the case of West Bengal. It may happen in the case of Kerala. A time would come when the Governors would assume absolute powers in their hands and democracy would be completely negated in the States. Sir, the founding fathers of the Constitu-

tion have introduced the Parliamentary system of Government in the Centre as well as in the States. In a Parliamentary system of government, the Head of the State is required to function in accordance with the advice given by his Council of Ministers. So, I have given you some instances. I have cited one instance in which one Government was dismissed and another Government was installed. So, if this is the case I think there must be some restriction on the discretionary powers of the Governors. If that has to be done, then it has to be clearly laid down in the Constitution, in unequivocal terms, that the Governors will never act against the wishes of the Council of Ministers. After substituting article 74 by a new article where the President has been bound by the wishes of the Council of Ministers, I think the argument for my proposed amendment is very much strengthened and I believe that our present Government will also accept this amendment. I believe the other Members will also support me in carrying through this Bill.

Sir, I move.

*The question was proposed.*

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) :  
माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रस्तावक महोदय ने इस बिल को पेश करते समय इस बात पर आग्रह किया है कि यह थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। मैं समझता हूँ, बात बिलकुल उलटी है। थोड़ी सी छूट देने की बात इसमें कही गई है, बाकी सभी बातों में राज्यपाल को बांधा गया है। मंत्रिमण्डल की सलाह के अधीन, और मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में जिस त्रिपुरा का उदाहरण दिया, उस त्रिपुरा जैसी परिस्थिति के बारे में राय देने की उन्होंने छूट दी है, आर्टिकल 356 को एंजम्बट किया है उन्होंने अगर

वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सलाह नहीं माने तो 2 आर्टिकल्स में छूट दी गई है—आर्टिकल 200 और आर्टिकल 356 । और यह जो “पोलिटिक्स” की जो बात प्रस्तावक महोदय ने कही उसका सारा क्षेत्र आर्टिकल 356 के अन्तर्गत आता है । तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने तर्कों से ही इस बिल की निरर्थकता को यहां पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ।

भारत के 42वें संविधान संशोधन का हवाला देकर इस व्यवस्था से ताकत प्राप्त करने का तर्क देते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का 42वाँ संशोधन विधेयक एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में इस देश की सर्वोच्च संसद से पास हुआ था । आपात कालीन परिस्थिति के अन्तर्गत उस समय लगभग समस्त विरोध पक्ष के लोग जेलों के पीछे थे, देश में उसके संबंध में राय व्यक्त करने के सवाल पर सब प्रकार की पाबंदियां थीं और वह तो जब उससे संबंधित विषय आएका तब उस पर खुलासे से विचार हो सकता है कि उसमें कौन कौन से अनर्थ इस देश के संविधान के साथ और साधारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ किये गये हैं । यद्यपि यह बिल 1974 में पेश कर दिया गया हो लेकिन 42वें संशोधन की छाया और शब्दशः उस का उद्धरण इस बिल में दिखाई देता है । माननीय सदस्य जिस पार्टी से आते हैं शायद पहले से उस की यह राय रही हो और उसी को उन्होंने इमरजेंसी का फायदा उठा कर संसद में पास कराने का प्रयत्न किया हो तो मुझे इस में कोई आश्चर्य नहीं लगता । जहां वंशानुगत हैड आफ दि स्टेट है, मोनार्कज है या हेरेडिटी के अनुसार शासन का अध्यक्ष निश्चित होता है वहां तो मैं समझ सकता हूँ कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल को यह विशेष अधिकार हो कि वह जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए

अपनी राय वंशानुगत चले आते हुए राष्ट्राध्यक्ष के सामने रखे और राष्ट्राध्यक्ष उसको स्वीकार करे । इसमें एक तर्क है और एक वजन है । यहां का गवर्नर भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है । भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता है । उसके लिए एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल कालेज है । सारे देश का प्रतिनिधित्व जिस व्यक्ति के पीछे है वह व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति है । गवर्नर उस के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है । गवर्नर कोई फिजूल की जगह नहीं हैं, जो हम भर रहे हैं । इस बिल के अधीन तो गवर्नर की पोस्ट ही रिडन्डेंट बन जाती है । अगर मंत्रिमंडल की सलाह के अधीन उसे काम करना है, मंत्रिमंडल के हर प्रकार के निर्णय को ही उसे डिटो करना है तो फिर इस सफेद हाथी की कोई जरूरत नहीं है । फिर तो इस बिल के अन्तर्गत इन पदों की आवश्यकता क्या है इसी पर एक विवाद खड़ा किया जा सकता है । सारा भारत राज्यों के अधीन है । यहां का फेडरल कांस्टीट्यूशन है । राष्ट्रपति राज्यपालों की मार्फत सारे देश के शासन को केन्द्रित करता है । संसद को आवश्यकता पड़ने पर दखल देने का अधिकार है । गवर्नर का एक्शन संसद के वक्श नेबिल है । यहां हम उस पर टीका कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं । अगर उस ने गलत निर्णय किया हो तो इस देश के सर्वोच्च सदनों को यहां तक अधिकार है उस के द्वारा लिये गये किसी निर्णय को, किसी डिस्क्रिशन को खारिज करवा सकते हैं । तो फिर यह कहने की कि वह अपनी मनमानी कर सकेगा, कोई गुंजाइश नहीं है ।

जब माननीय सदस्य आर्टिकल 200 के अन्तर्गत उसे छूट देने के लिए तैयार है कि विधान सभा के द्वारा पारित विधेयक को भी वह विटोवल्ड कर सकता है, तो फिर

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

मुझे समझ में नहीं आता कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सलाह के अधीन उसे काम करना ही चाहिए इस बात की गुंजाइश कहाँ रहती है। ओरिजिनल एक्ट में गवर्नर के डिस्क्रिशन को हम चेलेंज नहीं कर सकते कोर्ट आफ लॉ में। इन्होंने यहाँ पर प्रस्तावित किया है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के निर्णय को भी किसी कोर्ट में चेलेंज नहीं किया जा सकेगा। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जूडिशियरी को इस देश के प्रजातंत्र में बराबर का अधिकार है। जब कि इस देश के प्रजातंत्र में प्रशासन के सब अंग समानता के आधार पर टिके हुए हैं, क्या हम जूडिशियरी को इस मामले में पंगु कर दें कि वह एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन के सम्बन्ध में अपनी राय न दे सके? मैं समझता हूँ कि यह कदम देश की जनतंत्रीय व्यवस्था को कमजोर करेगा। आज जो देश में हमारे तीन पिलर्स हैं—एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जूडिशियरी, उस में जूडिशियरी के अधिकार समाप्त कर देने से सारे ढाँचे को कमजोर कर देना होगा, उस को अस्थिरता प्रदान करना होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह उपाय उन के स्वयं के तर्कों के अनुसार अतर्क संगत है और विधान की भावना के प्रतिकूल है। यह लोकतंत्र की मंशा को कुंठित करता है और गवर्नर जब कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ है तो उसे अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने का अधिकार रहना चाहिए। पिछले दिनों में गवर्नर के पद को राजनीतिक स्वाथ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है ...

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : काश्मीर में किया गया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : लेकिन इस का इलाज यह नहीं है कि हम भी गलत काम करें और इंस्टीट्यूशन को दोष दे। हम उन से अपना मतलब सिद्ध करने का प्रयत्न करें

और जिस मसलहत से वह इंस्टीट्यूशन कायम किया गया है उस को लांछित करने की कोशिश करें। आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नर को बिना इन सब बातों में लाये, बिना उस पर किसी प्रकार का प्रेशर दिये उस को अपने कर्तव्य का पालन करने का अवसर दिया जाय। संसद् है उस के कार्यों की निगरानी करने के लिये। संसद् उसे सम्भाल लेगी अगर उस ने अपने डिस्क्रिप्शन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, परन्तु उस के हाथों को कानून से बांध कर उसे एक मजाक बना देना किसी भी प्रकार से उचित न होगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। श्री भंडारी जी ने जितनी बातें कही, वह मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपनी धारणाओं के खिलाफ कहीं और जो पहले उन की धारणा थी और आज भी है उन के प्रतिकूल होते हुए भी उन्होंने यह तमाम बातें हमारे सामने रखी है। उपसभापति जी, जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त प्रश्न उठा कि राज्यपाल चुना हुआ हो या राज्यपाल को मनोनीत किया जाय। उस समय यह माना गया कि अगर राज्यपाल चुना हुआ होगा तो एक तरफ तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स चुनी हुई होगी और दूसरी तरफ राज्यपाल चुना हुआ होगा, तो एक ऐसे स्थान पर दो चुनी हुई संस्थाओं का रहना ठीक नहीं होगा और ऐसा माना गया कि ऐसा होने पर प्रदेशों का शासन ठीक से नहीं चल पायेगा। इस लिए राज्यपालों को मनोनीत करने की प्रथा डाली गयी और यह माना गया कि जो चुना हुआ मंत्रिमंडल होगा उस की आवाज में वजन होगा यह तय किया गया कि मनोनीत राज्यपाल को उनकी सलाह को मानना होगा और उस के बाद जो कुछ अधिकार उन को दिये गये वह इसलिये दिये गये कि

जैसा अपने देश के इतिहास में हमने देखा और उसमें जनता पार्टी का भी काफी बड़ा हिस्सा है, तमिल नाडु में एक पार्टी है डी० एम० के०, उसका एक नारा था कि तमिल नाडु हिन्दुस्तान का हिस्सा न रहे। तो इस लिये हम ने कहा कि ऐसी बातों के लिये संविधान के अन्दर राज्यपाल को अधिकार रहे कि वह मंत्रिमंडल की छुड़ी भी कर सके। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक शक्ती हुकूमत का कहीं भी स्थान नहीं है और इसी लिये जम्मू काश्मीर के संविधान को भी वहां के चुने हुए सदस्यों ने और विधान सभा ने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की सलाह से बदला। लेकिन जनता पार्टी ने जो जनता की दुहाई देती है, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा वहां एक शक्ती हुकूमत कायम की हालांकि संविधान के मुताबिक अन्य प्रदेशों की तरह वहां भी राष्ट्रपति शासन हो सकता था और 356 के अन्दर पार्लियामेंट को वह अधिकार हो जाता है जो हक विधान सभा को है उसको ताक में रखा इन्होंने और उसके साथ ही साथ उस विधान सभा के अन्दर ये 7 दिन की हुकूमत 8 दिन की जनता पार्टी की हुकूमत क्या-क्या ड्रा कर रही है वह हिन्दुस्तान के अन्दर एक खुली किताब है। हिन्दुस्तान के हमारे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जाते हैं और गुजरात के अन्दर उन्होंने झगड़ा कराया और अभी एक तरह से अगर यह माना जाए कि जनता पार्टी की सरकार का कुछ हिस्सा डिफेक्शन की सरकार, डिफेक्शन बनाने का तरीका है तो सही होगा। जिस तरह से गुजरात के अन्दर पहली विधान सभा को डरा करके दस्तखत कराये गये थे और उनसे इस्तीफा दिलाया गया, यह 8 दिन की सरकार ने फिर वह दोहराया है। . . . .

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** चिमनभाई पटेल को आपने ही हटवाया था।

**श्री रणबीर सिंह :** आपने हटवाया था, भण्डारी जी। आप यह ममझते हैं

कि देश आपके इतिहास को भूल सकता है, आप यह न सोचें। आपने दुहाई दी। आपको शक्ति मिली तो एक मामूली सी बात के चटखारे के ऊपर शक्ति मिली है, इस बात को न भूल जाइये। आपकी पार्टी ने परिवार नियोजन की ज्यादातियों के बिना पर आप आये हैं और इसी लिए हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों में जहां इसकी चर्चा नहीं हो सकती वहां आपको मुंह की खानी पड़ी। बुरी तरह से आप परास्त हुए हैं और डी० एम० के० की हिमायती जनता पार्टी तमिल नाडु के अन्दर बुरी तरह पराजित हुई। यहां पर एक सदस्य अभी हैं नहीं, जी० लक्ष्मणन वह कहा करते थे कि सी० सुब्रह्मण्यम को हम देखेंगे, हमारे रहम पर आये थे अगले चुनाव में क्या बनेगा, वहां चुनाव में क्या हुआ इस देश के अन्दर भण्डारी जी जरा आंख खोलिये और कान खोलिये, जरा सुनने की ताकत रखें। जिस सुब्रह्मण्यम को वह कहते थे, हमारे वित्त मंत्री को, तुम चुनाव में जीत नहीं सकते वह ढाई लाख वोटों से जीत कर आये और वह डी० एम० के० के ठेकेदार जो इस देश के एक हिस्से को अनाहदा करना चाहते थे, वह चारों खाने चिन हुए और उनकी जमानतें जप्त हुई। तो यह चटखारा लेने वाले ये परिवार नियोजन के चटखारे पर जीत की खुशी मनाने वाले, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो मामूली मामूली चटखारे होते हैं, ये सदा नहीं रह सकते हैं। आपके बड़े से बड़े नेता ने कहा है कि अगर कांग्रेस वाले पर्ची मांगने आये तो उनको कहो कि दो परिवार नियोजन के केस दे दो और एक वोट ले लो। तो इस नाम पर आप जीते हैं। जनता से आपका कोई वास्ता नहीं है, न कभी पहले रहा है, न कभी आगे रहने वाला है। जनता तो हमेशा हिन्दुस्तान में इधर बैठने वाले सदस्यों के साथ रही है और रहेगी। भूल भूलैया में डाल दिया आपने। कुछ हमारे अफसरो की गलती की वजह से जनता को आपने भूल भूलैया में डाल कर आज आप

श्री रणवीर सिंह

जीत की कहानियां कहने वाले जनता पार्टी की नीति का नाम लेते हैं। यह तो वित्त मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उससे जाहिर होता है कि इनकी कोई नीति नहीं है। जिसको आई० सी० एस० का इतने सालों का तजुर्बा हो और हमारे वित्त मंत्री हों वह दो-तीन दिन के अन्दर भाषण न बना सकें इससे साजिश जाहिर होती है। जिस तरह से इन्होंने गुजरात के अन्दर कराया और दूसरे प्रदेशों के अन्दर कराया उससे यह जाहिर होता है कि यह जो जनता पार्टी है यह जनता डिफेक्शन पार्टी है और दूसरे प्रदेशों की सरकारों को डिगायेगी। इसी वजह से आपके जो वित्त मंत्री हैं उनका भाषण कोई स्पष्ट नहीं था। उसके अन्दर कोई नीति नहीं बताई गई। जो कृषि मंत्री यहां बैठे हैं जब यहां गेहूं की कीमत के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो इन्होंने कोई भी कीमत बताने से इंकार कर दिया। मुझे याद है हम वह दिन भूले नहीं हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान वह दिन भूले नहीं हैं जिस रोज प्रकाश सिंह बादल जी करनाल में गये थे और यह दावा किया था कि 150 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव मुकर्रर होना चाहिये। उस वक्त पंजाब और हरियाणा के लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई थी कि सरकार किसानों को लूट रही है। आज आपका इम्तिहान है। लोगों को पता लगेगा, हिन्दुस्तान के किसान समझेंगे कि आप कितने हमदर्दी हैं। हिन्दुस्तान के किसानों को पता लगेगा कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है; क्योंकि वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है और कृषि मंत्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं। आपकी सारी पोल-पट्टी खुल जाएगी। हिन्दुस्तान की जनता आपके इरादों को जान जाएगी। भंडारी साहब को भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले यहां प्रदर्शन शुरू हुए। हमारे वक्त में तो वोट क्लब में प्रदर्शन हुआ करते थे लेकिन इस सरकार के समय में तो यहां सदन के सामने नारे लगते

हैं। सात दिन के अन्दर ही पोल-पट्टी खुलने लगी है।

मन्त्री महोदय अपनी स्पीच में अपनी धारणाओं का रखते तो हम कुछ कह सकते थे। आपने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा। जो आप पहले यहां बैठ कर कहते थे वह सब आप भूल रहे हैं। याद रखिये देश नहीं भूलता है, देश की जनता नहीं भूलती है। जिस नों तो याद है आपने डेढ़ सौ रुपये गेहूं की कीमत रखने के लिये सत्याग्रह किया था। अब आप इसके लिये बहाना नहीं लगा सकते। आपने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी घटेगी, ट्रैक्टर की कीमत घटेगी, खाद की कीमत घटेगी। किसान देखेगा कि कीमत घट रही है या नहीं। वह आप से हिसाब-खाता लेगा, हम से भी लिया है और आप से भी लेगा।

अभी थोड़ी देर पहले राय साहब ने जिक्र किया कि इमरजेंसी जब लागू हुई तो किसी से सलाह नहीं ली गई। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो इमरजेंसी लागू हुई तो इस सदन में और उस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था और आज के रक्षा मन्त्री ने उस समय प्रस्ताव पेश किया था। जनता पार्टी की

1 P.M.

हुकूमत में इस वक्त जो रक्षा मन्त्री हैं उन्होंने यह प्रस्ताव किया था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर यह हां जाय कि यह सरकार की नीति नहीं है तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर दूसरी कोई गलत बात नहीं हो सकती है। आप लोगों की आंखों में धूल डाल कर सरकार में आए हैं। इस प्रकार की नीति से आपकी सरकार बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगी।

उप सभापति जी, कल गुजरात विधान सभा में जो कुछ हुआ उसके बारे में आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो कुछ हुआ, वह भी आपने देखा लिया है। जो पुराने विधान सभा के सदस्य थे और अब लोक सभा के सदस्य बन गये हैं वे लोग वहां पर डिफेक्शन करवाने में लगे रहे। इस प्रकार का डिफेक्शन कुछ दिन पहले तो हो सकता था,

लेकिन अब जरा मुश्किल होगा। आपकी नीति अब यह हो गई है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको डरा-धमका कर गिराया जाय। आप लोग तरह-तरह की कहानियां कह कर राज्यपालों को डरा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश की वर्तमान हालत में यह सदन इस बिल को पास करेगा। इस बिल के ड्राफ्टिंग में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां होंगी उनको विधि मंत्री ठीक कर सकते हैं। हम ड्राफ्टिंग की गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वर्तमान जनता पार्टी डिफेक्शन पार्टी बन जाय। यह नहीं होना चाहिए कि जनता पार्टी डिफेक्शन के माध्यम से सरकार बनाये। राज्यों में सरकारों को तोड़ने के लिए अगर हिन्दुस्तान की सरकार हवाई जहाजों का गलत इस्तेमाल करती है, टी० ए०, डी० ए० का गलत इस्तेमाल करती है तो यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। इसलिए मैं दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के बारे में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको वे वापस लें और इस विधेयक का समर्थन करें।

#### ANNOUNCEMENT RE GOVERNMENT BUSINESS DURING THE REMAINING PART OF SESSION

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the remaining part of the session, will consist of:

(1) Consideration and return of the Finance Bill, 1977, as passed by Lok Sabha.

(2) Consideration and passing of the Food Corporations (Amendment) Bill, 1977

(3) Discussion on the Address by the Vice-President acting as President.

(4) Discussion on the Resolution on increase in the export duty on coffee, groundnut and cardamom.

(5) Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(i) The Caltex Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited Bill, 1977;

(ii) The Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 1977;

(iii) The East Punjab Urban Rent Restriction (Chandigarh Amendment) Bill, 1977;

(iv) The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 1977;

(v) The Delhi Administration (Amendment) Bill, 1977;

(vi) The Prevention of Publication of Objectionable Matter Repeal Bill, 1977; and

(vii) The Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1977.

श्री उपसभापति : अब सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.